न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 08/23 सन् 2023

जीसीएमएस संख्या 2023/123

बउनवानीः—

1. जगराम पुत्र माधो जाति मीना निवासी बन्देडिया तहसील चौथ का बरवाडा
2. श्याम पुत्र सीताराम जाति मीना निवासी बन्देडिया तहसील चौथ का बरवाडा
3. बन्शी पुत्र सुखलाल जाति मीना निवासी बन्देडिया तहसील चौथ का बरवाडा
4. रामगोपाल पुत्र सुखपाल जाति मीना निवासी बन्देडिया तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

1. बदाम देवी बेवा भागोता बैरवा नि0सहरावदा खांन मोडक स्टेशन तह0 रामगंज मण्डी, कोटा
2. मुकेश पुत्र भागोता बैरवा निवासी सहरावदा खांन मोडक स्टेशन तह0 रामगंज मण्डी, कोटा

(अपील तहसीलदार चौथ का बरवाडा के प्रकरण संख्या 28/2022अन्तर्गत धारा 183बी, मे पारित आदेश दिनांक 3.8.2023 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थितः— 1. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल — वकील अपीलान्ट,
2. श्री धीरेन्द्र पाल सिंह — वकील रेस्पो.

—: निर्णय :— दिनांक 08.05.2024

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 28/2022 अन्तर्गत धारा 183 बी, में पारित आदेश दिनांक 3.8.2023 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि विपक्षी ने न्यायालय तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष धारा 183 बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 511,512,513,815 वाके ग्राम बन्देडिया तहत तहसील चौथ का बरवाडा को रेस्पो. द्वारा अपीलान्ट के यहॉ रहन रखी हो ऐसा कोई साक्ष्य सबूत न्यायालय के समक्ष पेश नही किया गया इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आराजी को अपीलान्ट के यहॉ रहन रखना मानकर भूल की है। यह तर्क भी दिया कि विवादित आराजीयात अपीलान्ट के कब्जे में पत्रावली से साबित है पत्रावली में प्रस्तुत जवाब दस्तावेजो से यह साबित होता है कि रेस्पो0 के बुर्जुग भागोता द्वारा दिनांक 14.7.1992 को उक्त आराजीयात को 2,80,000/—रू में बैचान कर मोडक मय परिवार के चला गया तभी से अपीलान्ट का बहैसियत केता कब्जा चला आ रहा है अर्थात रेस्पो. के पिता भागोता द्वारा उक्त भूमि की कीमत लेकर अपने अधिकारों का त्याग कर दिया ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को 183 की कार्यवाही करने का अधिकार नही है बल्कि तहसीलदार जी को चाहिए कि उक्त प्रकरण को 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बनाकर उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के यहॉ प्रस्तुत करना चाहिए था लेकिन ऐसा नही कर भूल की है। इस प्रकार अदालत मातेहत ने धारा 183 के प्रावधानो व धारा 175 के प्रावधानो को पढे बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है । यह तर्क भी कि खाते[illegible] और उसकी भूमि पर जबरन' बिना किसी आधार के कब्जा किसी ने कर रखा है तो [illegible] बी लागू होगा लेकिन यदि खातेदारान ने अपने अधिकार ही समाप्त कर दिया [illegible] काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत भूमि को सिवायचक घोषित कर कब्जाधारी को बे[illegible] किया जा सकता [illegible]सी स्थिति मे अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील [illegible]पील खारिज किये [illegible] बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:08:11 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

वकील रेस्पो. द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि सम्मत है जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि उक्त अपील को सुनवायी का क्षेत्राधिकार राज0 काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 250 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी को तहत है। राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सुनवायी का अधिकार श्रीमान को नही होने के कारण उक्त अपील इस न्यायालय मे चलने योग्य नही है इसलि खारिज फरमाया जावे। यह तर्क भी दिया कि उक्त प्रकरण मे भूमि का कोई बैचान नही किया है बल्कि रेस्पो. संख्या 1 के पिता एवं रेस्पो0 संख्या 2 के पति भागोता द्वारा 70,000/-रू मे अपीलान्टगण के नाम गिरवी रखी गयी थी तथा उक्त रहन की राशि लौटाने हेतु भागोता द्वारा कई बार अपीलान्टगण से निवेदन किया था कि आप अपनी रहन की राशि लेकर भूमि पर कब्जा हटाओ, किन्तु अपीलान्टगण द्वारा हमारी उक्त भूमि पर से कब्जा नही हटाया तथा उक्त भूमि पर बने हुए हमारे पुराने मकान को ढहा कर जमीन को समतल कर दिया। भागोता फोत हो चुका है इसके बाद मेरे बडे पुत्र बाबूलाल ने काफी प्रयत्न किया किन्तु अपीलान्टगणों ने हमारी भूमि को वापस नही दिया। यह तर्क भी दिया कि इस प्रकरण मे जमीन का कोई बैचान नही हुआ है इसलिए धारा 42 का उल्लंघन नही हुआ है। दिनांक 1.11.2022 को सांय 4.00 बजें मेरा पुत्र मुकेश हमारी खातेदारी भूमि पर पहुँचा तो अपीलान्टगण द्वारा गाली गलोच कर भगा दिया तथा आईन्दा जमीन पर आने पर जान से मारने की धमकी भी दी गयी है। अपीलान्ट द्वारा यह अपील निराधार एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर पेश की गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा कथन किया गया ।

वकील उभय पक्षो द्वारा किये गये कथन को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विवादित भूमि ख0न0 511 रकबा 0.0200 है0 ख0न0 512 रकबा 2.57 है0 ख0न0 513 रकबा 0.0800 है0 एवं ख0न0 815 रकबा 0.47 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.14 है0 का रेस्पो0 बादाम 1/5 हिस्सा तथा रेस्पो0 मुकेश 5/18 भाग के रिकार्डेड खातेदार है जिसपर अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर रखा है,जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का डिडायच की रिपोर्ट दिनांक 24.7.2023 से हो जाती है। किन्तु अपीलान्ट के कथनानुसार उक्त भूमि रेस्पो0 के पति/पिता भागोता से दिनांक 14.7.1992 को 2,80,000/-रू मे क्रय की गयी है कथन के समर्थन में 100/-रू के स्टाम्प पर तहरीर किये गये बेनामा पत्र की प्रति पेश की गयी है। चूंकि अनुसूचित जाति की भूमि का अनुसूचित जनजाति के पक्ष मे विक्रय पत्र रजिस्टर्ड नही होता है इसलिए उक्त बेनामा रजिस्टर्ड नही हुआ है किन्तु उक्त बेनामे के आधार पर भूमि का अवैध हस्तानान्तरण होने से मना नही किया जा सकता है। रेस्पो0 द्वारा कथन किया कि उक्त भूमि उनके पति/पिता द्वारा 70,000/-रू मे अपीलान्ट के रहन रखी गयी है तथा सुनवायी का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही होने है किन्तु कथन के समर्थन मे कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि का अवैध हस्तानान्तरण होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 का भी उल्लंघन हुआ है। ऐसे प्रकरण जिनमे तहसीलदार को धारा 42 का उल्लंघन होना पाया जाता है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत सक्षम न्यायालय में कार्यवाही प्रस्तावित किये जाना का अधिकार भी प्राप्त है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार चौथ का बरवाडा को पुनः विचार किये जाने हेतु भिजवाया जाना उचित समझता हूँ।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ (Remand) प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का पुनः परीक्षण कर भूमि के अवैध हस्तानान्तरण से संबंधित बिन्दु की गहनता से जॉच कर संबंधित धारा [illegible] प्रस्तावित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल [illegible] किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:08:11 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner